समक्ष:- श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर
केम्प सागर म.प्र. निगरानी 2518-I-15

अशोक कुमार बाजपेयी आयु 67 वर्ष तनय स्व.श्री कृष्णदत्त बाजपेयी निवासी मकान नंबर एच.आई जी 15 पदमाकर नगर मकरोनिया थाना पदमाकर नगर तह0 जिला सागर म.प्र.
कारंदा आम- श्री गोविन्द स्वरूप बाजपेयी तनय स्व.श्री देवदत्त बाजपेयी
-- आवेदक

//विरूद्ध//

1. दिनेश कुमार गुप्ता तनय श्री बाबूलाल गुप्ता
2. संजय कुमार गुप्ता तनय श्री बाबूलाल गुप्ता
निवासी लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर म.प्र.
3. म.प्र. शासन -- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू. राजस्व संहिता

आवेदक की ओर से प्रार्थना है :-

1. यह कि भूमि स्वामी की मालकियत की भूमि (मौजा बहेरिया गदगद पटवारी हल्का नंबर 77 राजस्व निरीक्षक मंडल सागर -2 तह0 जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 7/3 रकबा 0.40 हेक्ट. (1.00 एकड़) का मालिक काबिज है ।

2. यह कि उक्तभूमि भूमि स्वामी दिनांक 13.03.1995 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा के द्वारा क्रय की थी । जिस पर उसी समय से मालिक काबिज होकर उक्त भूमि के चारो ओर हदबंदी हेतु पक्के सीमेन्ट के खम्बो व लोहे के कटीले तार द्वारा फेंसिंग करा ली थी।

3. यह कि उक्तभूमि से लगकर विक्रेता की शेष भूमि 0.33 हेक्टेयर मे से 0.23 हेक्टेयर भूमि अनावेदकगण क्र. 1 व 2 द्वारा दिनांक 27.2.1999 को रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा क्रय की थी, जो कि आवेदक भूमि स्वामी से लगभग 4 वर्ष बाद क्रय की गयी थी।

4. यह कि अनावेदक क्र. 1 ने अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.2518/I/15 ...जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	आवेदक अभि० श्री अशोक कुमार बाजपेई उप० उन्हे सुना गया। प्रकरण में मुख्य विवाद सीमांकन से संबंधित है सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। इस संबंध में आवेदक अभि० द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का प्रकार करते हुए मुख्य रूप से यह कहा गया कि बिना सूचना के सीमांकन कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत तर्कों के क्रम में निगरानी मेमो का अवलोकन कर विचार किया गया तथा अधी० न्यायालय के सीमांकन कार्यवाही का अवलोकन उपरांत विचार किया गया। अवलोकन से आवेदक अभि० के तर्कों की पुष्टि होती है तथा सीमांकन कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तह० को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सूचना पत्र देकर तथा समस्त सीमांत कृषकों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें तथा सीमांकन की पुनः कार्यवाही पूर्ण होने	

[कृ. प. उ.

16/07/2015

(51)

R. 25/8/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तथा उक्त नियत अवधि तक संहिता की धारा 250 के तहत की जा रही कार्यवाही स्थगित की जाती है। उक्त निर्देशों के साथ यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	